स्थानीय जैव विविधता के स्थानीय उपयोग सहित चिकित्सीय पौधों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान हेतु सूक्ष्म योजना प्रबंधन तैयार करना।

स्थानीय जैव विविधता निधि का गठन

झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007 के नियम-21(2) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र में जहां स्वायत्त शासन की कोई संस्था कार्यरत है, स्थानीय जैव विविधता निधि के रूप में एक निधि गठित की जाएगी जिसमें निम्नांकित राशियां आकलित की जाएंगी -

(क) अधिनियम की धारा-42 के अधीन दिया जाने वाले कोई अनुदान अथवा ऋण।

(ख) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दिया जाने वाले कोई अनुदान अथवा ऋण।

(ग) राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा दिया जाने वाले कोई अनुदान अथवा ऋण।

(घ) जैव विविधता प्रबंधन समितियों को अधिनियम की धारा-41 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाले निर्दिष्ट शुल्क।

(ड़) वैसे अन्य क्षेत्रों से, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएँ, स्थानीय जैव विविधता निधि द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ।

स्थानीय जैव विविधता निधि का उपयोग

झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007 के नियम-21 उपनियम-3(ख) के अनुसार स्थानीय जैव विविधता निधि का उपयोग संबंधित स्थानीय निकाय के अंदर स्थित क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण एवं संवृद्धि (growth) तथा समुदाय की भलाई हेतु किया जायेगा बतर्शे कि उक्त उपयोग जैव विविधता के संरक्षण हेतु संगत हो।

स्थानीय जैव विविधता निधि का संचालन

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-5069 दिनांक-21.09.2015 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007 के नियम-21 उपनियम-3(क) के आलोक में राज्य के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले सभी वन प्रमण्डल (वन्यप्राणी प्रमण्डल एवं पलामू व्याघ्र आरक्ष्य के कोर और बफर क्षेत्र प्रमण्डलीय स्थापनाओं सहित) में कार्यरत वनपाल को उनके क्षेत्राधिकार अंतर्गत गठित स्थानीय निकाय (पंचायत/नगर निकाय) स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए गठित स्थानीय जैव विविधता निधि के संचालन हेतु जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के साथ संयुक्त हस्ताक्षरी (Joint Signatory) घोषित किया गया है।

अधिनियम के प्रयोजनार्थ नाभिक पदाधिकारी

अधिनियम की धारा-41 के अंतर्गत गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के विभिन्न विषयों/कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-5916 दिनांक-23.11.2015 के माध्यम से प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी/उप वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रमण्डल एवं पलामू व्याघ्र आरक्ष्य के कोर और बफर क्षेत्रीय प्रमण्डलीय स्थापना सहित) को जैव विविधता अधिनियम के प्रयोजनार्थ नाभिक पदाधिकारी (Nodal Officer) अधिसूचित किया गया है।

जैव विविधता के संरक्षण और सतत् विकास के लिए अपने स्थानीय वनकर्मी एवं बीएमसी के साथ हाथ मिलाएं

झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्, रांची
विद्यालय मार्ग 'सी', अशोक नगर, राँची, झारखण्ड
दूरभाष : 0651-3506746 ई-मेल : jbbranchi@gmail.com
: @JBB_Ranchi : Jbb_ranchi
: https://www.facebook.com/p/jharkhand-biodiversity-board-61567870003255/

3738_10_24_Kailash Paper, Ranchi • 1800 889 4101 (Nov. 2024-100)

जैव विविधता संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण

जैव विविधता अधिनियम, 2002 एवं जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत् जैव विविधता प्रबंधन समितियां

झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार

जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी)
(Biodiversity Management Committee)

जैव विविधता अधिनियम की धारा-41 के अतंर्गत बीएमसी स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों द्वारा गठित एक समिति है।

उक्त समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जैव विविधता का सतत् उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देना तथा जैविक संपदा के व्यापारिक उपयोग से व्युत्पन्न लाभांशों के समान साझाकरण सुनिश्चित करना है।

अधिनियम की उक्त धारा-41 एवं झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007 के नियम-20 के आलोक में झारखण्ड राज्य में कुल 4689 स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत-4351, प्रखण्ड-263, जिला परिषद्-24, नगर निकाय-51) स्तरों पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां गठित हैं।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों की संरचना

जैव विविधता प्रबंधन समिति
(अध्यक्ष-01 + सदस्य-06)

- महिला सदस्य-02
- अनु. जाति/जनजाति सदस्य-03
- अन्य सदस्य-02

जैव विविधता प्रबंधन समितियों का कार्यकाल

- जैव विविधता प्रबंधन समिति का कार्यकाल स्थानीय निकाय के कार्यकाल के बराबर/पाँच वर्ष होगा, जबकि मौजूदा बीएमसी तब तक प्रचालन जारी रखेगी जब तक एक नई समिति का गठन नहीं हो जाता।
- समिति में अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्षों का होता है।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों का कार्यालय

जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थानीय निकाय द्वारा दिए गए कार्यालय परिसर से कार्य करेगी।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों की बैठकें

जैव विविधता प्रबंधन समितियों की बैठकें वर्ष में कम से कम 04 (चार) बार और प्रत्येक तीन माह में कम से कम 01 (एक) बार आयोजित की जाएगी।

समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठकें आयोजित की जाएंगी और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा किसी अन्य सदस्य को चुना जाएगा।

प्रत्येक बैठक के कोरम में अध्यक्ष और आधिकारिक सदस्यों के अलावा तीन व्यक्ति होने चाहिए।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों के बैठकों की कार्यवाही

जैव विविधता प्रबंधन समितियों के बैठकों की कार्यवाही एवं अनुपालन कार्रवाई तैयार की जाएगी। बैठकों के कार्यवाही हेतु पर्षद् द्वारा एक प्रपत्र/फॉर्मेट प्रदान किया जाएगा, जिसमें बैठक के रजिस्टर और इस प्रकार के विवरणों का रखरखाव किया जाएगा।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां

1. स्थानीय जैव विविधता का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण तैयार करना।
2. स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण एवं प्रबंधन के साथ स्थायी उपयोगिता को बढ़ावा देना।
3. स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श द्वारा जन जैव विविधता पंजी/रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करना।
4. जन जैव विविधता पंजी जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा रखे जाएंगे और विधिमान्य (validate) किये जाएंगे।
5. क्षेत्र में खेती किये जा रहे औषधीय पौधों की विवरणी पंजी/रजिस्टर में दर्ज करना।
6. स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता व इससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान का जानकारी एकत्रित करना।
7. समिति एक ऐसी पंजी भी संधारित करेगी जिसमें जैविकीय संसाधनों एवं पारंपरिक ज्ञान के स्वीकृत अभिगमन/पहुँच (access), लगाये गए संग्रहण-शुल्क, प्राप्त लाभों एवं उनके अंश-उपभोग की पद्धति से संबंधित विवरण संधारित होंगे।
8. जैविकीय संसाधनों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्यों एवं चिकित्सकों के संबंध में विवरण संधारित करना।
9. संकटग्रस्त जैविक प्रजातियां एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों/जंतुओं की पारंपरिक किस्मों/प्रजातियों के संरक्षण हेतु कार्य करना।
10. स्थानीय जैव विविधता का पारिस्थितिक पुनः सुधार (ecological recovery) हेतु कार्य करना।
11. जैव विविधता से संबंधित शिक्षा एवं जागरूकता निर्माण के लिए कार्य करना।
12. विरासत स्थलों सहित विरासत वृक्षों, जन्तुओं/सूक्ष्मजीवों और पवित्र कंदराओं (Sacred Caves) तथा पवित्र जलाशयों (Sacred reservoirs) का प्रबंधन करना।
13. जैव संसाधनों के उपयोगकर्ता (व्यापारियों, उद्योगों) की जानकारी एकत्रित किया जाना एवं जैव विविधता अधिनियम के तहत् जैविक संपदाओं के व्यापार को विनियमित करने हेतु संबंधित को उत्प्रेरित करना।
14. जैविक संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करना।
15. स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझाकरण सुनिश्चित करना।
16. झारखण्ड जैव विविधता पर्षद या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा समिति को निर्देश दिए गए विषयों में से किसी के संबंध में सलाह देना।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों की कार्य योजना

प्रत्येक जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा एक कार्य योजना बनाई जाएगी, जन जैव विविधता रजिस्टर में सत्यापित जानकारी प्राप्त की जाएगी। तकनीकी सहायता समूह द्वारा कार्य योजना को तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।